Invitation of bids for operation and maintenance of the common processing plant for seed spice at Spices Park, Jodhpur, Rajasthan	S
at Spices I aik, Jounpui, Rajastilan	

Bid document

Spices Board Ministry of Commerce & Industry Government of India, Cochin 682 025

Invitation of bids for operation and maintenance of the common processing plant for seed spices at Spices Park, Jodhpur

Spices Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India had established a full line processing facility for Seed Spices with a capacity of 2 Tons per Hour and a steam sterilization unit in Batch process with a capacity of 250 kg/hr in Spices Park, Jodhpur. The Board has leased the operation and maintenance of the common processing plant to an exporter till the end of December 2019. Spices Board now invites bids from interested exporters to operate and maintain the processing facilities in the park for a period of 5 years. The plant and facilities will be leased out to the successful bidder 'as is where is condition'. The selected bidder shall have to remit a security deposit in the form of Bank Guarantee and pay lease rent amount on a monthly basis from the date of execution of the agreement for taking the facility. The lease rent amount will be annually increased by 10 % of the agreed amount. The successful bidder shall have to remit one-time non-refundable operational charge of Rs.2.00 lakhs along with 18% GST (total: Rs.2.36 lakhs) in the form of Demand Draft drawn in favour of Secretary, Spices Board, payable at Ernakulam or remitted into Board's Receipt account.

The successful bidder to whom the facility is intended to be leased out shall be selected on the basis of two covers bidding system viz., Techno-commercial bid and Financial bid.

The successful bidder will be responsible to carry out the required modification / rectification, if any, of the existing plant on their own and operate & maintain the plant and meet all expenses for the operation and day-to-day running of the processing plant including electricity, maintenance cost of diesel generator, water charges etc. Detailed terms and conditions of the Bidding process are given in the instructions to bidders (ITB).

The bidders shall submit techno commercial and financial bid on or before **11**th **November 2019.** Financial bid of those bidders whose techno-Commercial bids are acceptable only will be opened.

The Board will open the technical bid on **12.11.2019** at **11 am** in the presence of the available bidders or their representatives and the Financial bids will be opened at **3.00 pm** on the same day.

DIRECTOR (MKTG)

Place: Cochin-25 Date: 21.10.2019

Instructions to Bidders (ITB)

1.0 Scope of Bid

- 1.1 Spices Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India had established a full line processing facility for Seed Spices with a capacity of 2 Tons per Hour and a steam sterilization unit in Batch process with a capacity of 250 kg/hr in Spices Park, Jodhpur. A warehouse having an area of 8600 sq feet is also available for allotment along with processing unit in the Spices Park at Jodhpur. The Board proposes to lease out the said processing facilities and the warehouse to the exporters for day-to-day operation after the end of current lease period in December 2019. The facility is situated at Rampura Bhatia Village in Jodhpur District of Rajasthan. Spices Board intends to lease out the facilities with machinery, equipments and implements 'As is where is condition' to the successful Bidder to operate and maintain for 5 years from the date of execution of lease deed.
- 1.2 The scope of work shall consist of operating the plant & machineries and the warehouse successfully for a period of 5 years for which the facilities will be leased out. The successful Bidder will be permitted to use the premises of the plant building for its processing facilities. The successful Bidder will be authorized to use the facilities applicable to the processing plant such as internal roads and allow entry to the premises etc. All the running expenses, cost of spare parts, maintenance of machinery, annual maintenance of plant building, utility charges like water supply, electricity, Charges for DG Set, security charges for the operation of the facility etc. shall have to be borne by the successful Bidder.

2.0. Qualification Criteria for submitting the bid

- 2.1 Bidders satisfying the following criteria will be eligible to participate in the bidding
 - i) The bidder shall have valid registration as exporter of spices.
 - ii) The Bidder shall have previous experience in running the similar processing facility for spices/agriculture commodity/food processing etc.
- 2.2 The Bidders shall submit the following information and copies of documents in their Techno-Commercial bid.
 - i) Copies of original documents defining the constitution or legal status, place of registration, principal place of business, Certificate of Registration as Exporter of Spices. In the case of joint venture or consortium of firms, a Memorandum of Understanding (MOU) clearly indicating the responsibilities of each partner.(SCHEDULE- A)
 - ii) Financial statement including total monetary value of works executed for each of the immediately preceding 3 years.(SCHEDULE B)
 - iii) Details of previous experience (SCHEDULE C)
- 2.3 The Bidders shall quote the monthly lease amount offered for the processing facility in the financial bid
- 2.4 The Bidders shall quote the monthly rent offered for the warehouse.

3.0 One Bid per Bidder

3.1 Each Bidder shall submit only one bid. A bidder who submits more than one bid shall be liable to be disqualified.

4.0 Site Visit

4.1 The Bidder, at his own responsibility and interest is encouraged to visit and examine the Plant and equipments, etc and obtain all information that may be necessary for preparing the Bid and entering into an Agreement for the operation of the facility. The cost of visiting the site and collecting the necessary information shall be borne by the Bidder. The Bidder who is interested to visit the site shall inform the Board's Regional office at Jodhpur in advance in the following address.

The Asst Director, Spices Board Regional Office C-65, Kamala Nehru Nagar -II Extension Jodhpur 342 008 Rajasthan

Mob: 0291-2636994

Email: spicesboardju@gmail.com

5.0 Bid Price

5.1 The Bidder shall remit an amount of Rs. 50,000/- along with bid as Earnest Money Deposit (EMD) to the Board in the form of Demand Draft drawn on any bank favouring Secretary, Spices Board payable at Cochin or bank transfer to the following Board's Receipt account.

Spices Board Receipt Account : 7176002100002354 Name of the Bank : Punjab National bank Name of the Branch : Vennala, Ernakulam IFS Code : PUNB0717600

- 5.2 The EMD of the successful Bidder will be discharged only after the successful completion of the lease agreement. If the Bidder fails to execute the lease agreement within the stipulated period, the EMD will be forfeited by the Board. The EMD of the unsuccessful bidders will be refunded after the bid finalization.
- 5.3 The Bidder, who offers the maximum lease amount per month will be treated as the successful Bidder, provided that all the other terms and conditions specified in the bid documents are fulfilled.
- 5.4 The Board reserves the right to revise the lease period from time to time depending on the additional facilities that may be created which will be beneficial for the operation of the Plant.

6.0 Last date for submission of the Bid & bid opening date

6.1. The techno-commerical bid shall be kept in separate cover superscribing the "Techno Commercial Bid for leasing the processing facilities in Spices Park, Jodhpur". The financial bid shall be kept in separate cover superscribing the "Financial Bid for leasing the processing facilities in Spices Park, Jodhpur". The sealed covers of both Techno Commercial bid and financial bid shall be kept in a cover superscribing "Bid for leasing the processing facilities in Spices Park, Jodhpur" and sent to the following address so as to reach on or before 11th November 2019.

Shri P M Suresh Kumar Director (Mktg) Spices Board Palarivattom Post Kochi- 682025 Kerala

- 6.2 The Board will open the Technical bid on 12.11.2019 at 11 am in presence of the Bidders or their representatives present, if any.
- 6.3 Financial Bids of only those Bidders whose Techno-commercial Bids are accepted, will be opened on the same day at 3.00 pm.

7.0 Award Criteria

- 7.1 The Board reserves the right to accept or reject any bid and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to the award of the Contract, without thereby incurring any liability to the Bidder/Bidders or any obligation to inform the Bidder/Bidders of the grounds for the Board's action.
- 7.2 The Board will take a decision on award of the contract to the Bidder whose bid has been determined to be substantially responsive to the bidding documents and who has offered the *highest lease amount* and who has been determined to be eligible in accordance with the provisions in the bid document and whose Techno-Commercial Bid is acceptable.
- 7.3 The successful bidder shall pay a security deposit of Rs.15 lakhs (refundable) and preoperational charge of Rs 2.00 Lakh with GST 18% (total : Rs.2.36 lakhs) to the Board (non refundable) in the form of bank draft drawn in favour of Secretary, Spices Board payable at Cochin or remit the amount to the Board's Receipt account as given below by NEFT / RTGS before signing the agreement.

Spices Board Receipt Account : 7176002100002354
Name of the Bank : Punjab National bank
Name of the Branch : Vennala, Ernakulam
IFS Code : PUNB0717600

7.4 The Bidder who quoted the highest lease amount will be awarded the work after executing an agreement.

7.5 The Bidder whose Bid has been accepted will be informed by the Board prior to by email, which will be followed by a confirmation letter by Speed Post.

7.6 The Award of work will constitute the formation of the Contract subject to the Bidder furnishing the Pre-operational Charge, Security deposit and lease amount advance equivalent to three months lease amount.

GENERAL CONDITIONS OF AGREEMENT

1. a) Processing facilities

The Board had established a full line processing facility for Seed Spices with a capacity of 2 Tons per Hour with cleaning, colour sorting, grading, blending, packing facilities and a steam sterilization unit in Batch process with a capacity of 250 kg/hr in Spices Park, Jodhpur.

b) Warehouses

The Board had established six warehouses in the Spices Park and five warehouses are already leased out. One warehouse No.5 admeasuring 8600 sq feet is available for allotment along with common processing facility. The Board will lease out the warehouse not below the existing rate paid by the lessees for the already leased warehouses.

2. Permanent Water Supply

The permanent water sources and water supply are available in the plant. If the Bidder desires to have additional water lines, he has to make his own arrangements and shall have to bear all cost for new connection and distribution of the water supply system without any material change in the present supply lines. Only ISI certified good quality fittings shall be used in the water distribution system. The Bidder has to pay the water charges fixed by the Board based on the Usage.

3. Electrical Supply

The power supply is made available by the Board in the park. The Bidder shall have to make his own arrangements and shall have to bear all costs for new connection and distribution of the electric system, if required. The bidder shall meet the monthly charges of the electricity used as per the bill received from the State Electricity Board in accordance with the meter reading corresponding to the processing plant. The Bidder has also to bear the proportionate connected load demand of the Plant as per the tariff of Rajasthan State Electricity Board in addition to the charges for the electric consumption based on the meter reading.

4. Electrical Supply from DG Set

The Board had installed stand alone DG Set for the operation of processing facility. If a bidder desires to use the DG set installed by the Board for the operation of the plant then the Tariff rates applicable for the Electrical Inspectorate, cost of diesel for running the set and user fee for using the DG Set to Board etc shall be paid by the bidder.

5. Electrification

The Bidder shall be responsible for any new design and installation of the power receiving and distribution and internal and external lighting systems which shall be in conformity with the requirements of the Rajasthan State Electrical Inspectorate and the Bidder shall get them approved by the Inspectorate. This is over and above the electrification already in place. The light fittings, switch gear, cables, etc. used shall be of the highest standard and shall be got approved by the Board. All electrical installations shall be as per Rajasthan State Electrical Inspectorate rules and regulations. The equipment and materials shall be of standard quality with ISI mark and as approved by Board.

6. Waste Disposal

The Bidder shall design and maintain the waste disposal system at his own cost. Any wastewater let out into the Board's common drainage system shall comply with the standards laid down by the Rajasthan State Pollution Control Board and/or by the Board.

7 Roads & Water Courses

Existing roads or water courses, pipes, electrical and telephone lines and conduits shall not be blocked, gone through, altered, diverted or obstructed in any way by the Bidder, except with the permission of the Board. All compensation claimed for any unauthorized provision, cutting through, alteration, diversion or obstruction to such roads or water courses, etc. by the Bidder or his staff shall be recoverable from the Bidder.

8 Indemnity & Liability

The Bidder shall indemnify, defend and hold the Board harmless against any and all proceedings and actions and third party claims, losses, damages, accidents, loss of life and expenses of whatever nature arising out of the procurement, operation and maintenance of the Production unit or arising out of any breach by the Bidder of any of its obligations under this agreement or subsequent agreement executed by the Bidder. The Bidder shall also fully indemnify and hold harmless and defend the Board including its officers, servants, agents and authorities representatives from or against any loss/damages arising out of or with respect to:

- a) Non-compliance with applicable laws and applicable permit by the Bidder
- b) Non-payment of tax relating to works, sub-contractors, suppliers, etc.or tax required in connection with operation and production of processed Spices, GST or any other taxes etc
- c) Non-payment of amount due as a result of materials or services provided to the Bidder which are payable by the Bidder or any of its agencies.

9. Tax & Duties

All charges on account of octroi, excise or GST, compensations and/or other duties or any levy as the case may be on the works shall be borne by the Bidder. All taxes and duties on procurement of raw materials, services and sale of finished products shall be borne by the Bidder.

10 Bye-Laws & Regulations of local and statutory authorities

- a) The Bidder shall comply with all bye-laws and regulations of local and statutory authorities having jurisdiction over the works and shall be responsible for obtaining prior approval, if any, and payment of all fees and other charges, giving and receiving of all necessary notices and keeping the Board informed of the said compliance with the bye-laws, payments made, notices issued and received. The Bidder shall indemnify the Board against all claims in respect of royalties, patent rights, design trade marks of name or other protected rights in respect of any plant, machine, work or materials used for or in connection with the work or temporary works and from and against all claims, demands proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto. The Bidder shall defend all actions arising from such claims and shall himself pay all royalties, license fees, damages, costs and charges of all and every sort that may be legally incurred in respect thereof.
- b) The Bidder shall comply with proper and legal orders and directions of the local or public Board or municipality and abide by their rules and regulations and pay all fees and charges, which he may be liable.

11. Insurance

The Bidder shall insure against risk of any loss, damage or body injury, which may occur to any physical property or to any person, which may arise out of the performance of the contract and during the operation and maintenance period. The Bidder shall insure the plant and machineries for not less than the full re-installation cost including cost of demolition, removal of debris etc. This insurance shall be effective from a reasonable period of taking over of the plant and machinery but not later than 30 days. The Bidder shall keep all the documents relating to the insurance and shall be made available for the inspection of the Board. The expiry date of effective insurance policy will be 6 months after the transfer of plant and machinery to the Board.

12. Labour

The Bidder shall be responsible for the safety of all employees employed by him on the works and shall report any serious accident to any of them, whatever and wherever, occurring on the works to the authorities concerned and shall make every arrangement to render all possible assistance. The Bidder shall make at his own expense adequate arrangements outside the compound, if necessary, for the housing, supply of drinking water, food, provision of latrines and urinals for his staff. The Bidder shall conform to all laws, bylaws and rules and regulations for the time being in force pertaining to the employment of local or imported labour and shall provide the needed ESI cover to the workers employed by him. The Bidder shall pay at the rates of wages and observe conditions of labour, which are not lower than those established for the trade or industry. The Bidder shall comply with all the relevant laws applicable to the industry including laws relating to the employment, health, safety, welfare, immigration and emigration and shall allow them their legal rights. The Bidder shall not retrench the employees without the approval of the Board. The Bidder shall effect and maintain insurance against risk of claims, damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) arising from injury, sickness, disease or death of any person employed by the Bidder or any of the Bidder's personnel. The Board shall also be indemnified under the policies of insurance, except that this insurance may exclude losses and claims to the extent that they may arise from any act or negligence of the Bidder or of the Bidder's personnel. The insurance shall be maintained in full force and effect during the whole time that these personnel are assisting in the execution of the works.

13. Other Documents

The Board shall submit to the Bidder the draft of agreement with operation and maintenance contract, etc. for its review and undertake to accept all comments and suggestions, if any, made by the Board there on. The Board shall have the right, but not the obligation, to provide its comments, observations, if any, on or in respect of the above mentioned documents within 30 (thirty) days of the receipt thereof by the Board and the Bidder shall incorporate all such comments/observations of the Board thereon. Any such comments/observations by the Board on any of the above mentioned drafts or the failure to provide such comments shall not relieve or absolve in any manner whatsoever the Bidder of his obligations, duties and liabilities under this Agreement nor shall it make the Board liable to the Bidder in any manner whatsoever and shall be without prejudice to the rights of the Board hereunder.

14. Obligations of the Board

The Board agrees to observe, comply with and perform the following:

- i. The Board agrees to the faithful use of the facilities, operation and maintenance of the Processing facilities by the Bidder as long as the Bidder is not in breach of his obligations under this agreement,
- ii. Enable access of the Bidder to the site and infrastructure facilities subject to the security arrangements at the processing facility.
- iii. Assist the Bidder, if needed, in procuring such of the applicable permits as required by law in accordance with and subject to the Bidder complying with applicable laws.
- iv. Assist the Bidder in getting access to all necessary infrastructure facilities and utilities including water, electrical and telecommunication facilities.
- v. Permit the Bidder in plying of vehicles and movement along construction plant and materials subject to customs and security clearance.

15. Rights of Board

- i. The Board has the right already to enter the premises and make necessary checks on the activities.
- ii. The Board has the right to examine the day-to-day management of the plant and to make necessary instructions for improving the performance of the process.
- iii. The Board has the right to examine any documents, accounts maintained by the Bidder on the day-to-day management of Extraction Plant.
- iv. The Board has the right to make suggestions to improve the quality of services provided by the Bidder on the day-to-day management of processing facilities and Bidder shall incorporate the same within a reasonable time.
- v. The Board has the right to suspend the services of any person employed by the Bidder if found unsatisfactory and the Bidder shall act immediately on such occasions.

16. Governing Law

The Bidder shall abide by all laws, rules and regulations including Factories Act, Minimum Wages Act, Provident Fund Act, Employees' State Insurance Act etc and all other Acts and Rules relating to the operation of the above premises, prevailing in the state of Madhya Pradesh and Government of India. The Bidder shall ensure that all the above are taken into account by providing the necessary documentary evidence within a month of operation of the plant.

17. Final Authority

Notwithstanding any of the conditions mentioned above, the final authority on any matter connected with the project vests with the Secretary, Spices Board.

18. Termination

The Board shall have the right to terminate the lease agreement without paying any compensation to the Bidder in case of breach of contract or default by the Bidder. Following events shall constitute events of breach of contract or default by the Bidder.

- i. The Bidder fails to commence the work within 90 days from the date of signing of the agreement
- ii. The Bidder abandons the project or any of its material obligations under the contract.
- iii. The Bidder commits default in complying with any of terms and conditions of the contract/agreement or fails to rectify the same within 30 days on receipt of notice in this behalf from the Board.
- iv. The Bidder fails to maintain the project to the satisfaction of the Board during the period of operation.
- v. If the Bidder has delayed any payment that has fallen due under this contract if such delay exceeds 30 days.
- vi. If Bidder fails to act on any instructions issued by the Board within a reasonable period to the satisfaction of Board.
- vii. If Bidder commits any alterations / modifications / additional constructions without written permission of the Board during the period of operation.
- viii. If the Bidder uses the factory and premises for any purpose not related to the business of processing of Seed Spices or make any alteration or additions or constructions without prior approval of the Board during the period of operation.
- ix. If the Bidder brings in material other than the agricultural commodity (raw material) intended for processing
- x. If the Bidder fails to ensure the safety of workers or fails to maintain regulations related to the labour laws or fails to maintain suitable arrangements for the welfare and hygienic requirements.

xi. If the Bidder lay off the plant and fails to run continuously for 5 days other than the annual maintenance shut down of plant and machinery.

Without prejudice to any other rights or remedies which the Board may have in respect of / under this agreement, the occurrence of any breach or default by the Bidder under this agreement/contract shall entitle the Board to terminate the agreement / contract by a communication in writing (termination notice). If the Bidder fails to remedy such breach or default within the period specified by the Board, the Board shall terminate the agreement, take possession and control of the Plant, materials and built-up areas and control the project including collection of any amount due to the Bidder. No structures, temporary or permanent shall be made without the written permission from the Board.

For more details if any please contact

Director (Mktg), Spices Board, Palarivattom Post Cochin, Kerala-682 025 Tel: 0484-2333607

Email:dm.sb-ker@gov.in

Application for submitting the Bid for leasing the processing facilities in the Spices Park at Jodhpur

Application for submitting the Dia for leasing the processing facilities in	t the Spices I ark at Journal
1. Name of the Company	
2. Details of Certificate of Registration as Exporter of Spices	
3. Name of the Contact Person, address, email id Tel No and mobile No.	
4. PAN Number of the applicant	
5. Details of GST Registration	
6. Continuous years of business and type of business	
7. Annual Turn over of the present business	
8. Type of commodity dealt with	
9. Number and details of business that are currently dealing with	
10. Engineering and operating experience of spices processing units	
11. Details of previous experience in running a spice processing unit	
12. Experience in manufacturing / modifying plant & machinery of spice units.	
Place: Date:	(Signature of the applicant) Seal

SCHEDULE - 'A': STRUCTURE AND ORGANISATION

Name of the Bidder		
Head office address		
Telephone no.		
Fax no.		
Email id		
Regional office address		
Telephone no.		
Fax no.		
Email id		
Main lines of business.		
(a) domestic	since	
(b) export Place and year of incorporation (attach copy of certificate of incorporation)	since	
		SIGNATURE
(Attach the organization chart	showing the structure of th	e organization)
Place: Date:		Name: Signature:

SCHEDULE - 'B': FINANCIAL CAPABILITY

- 1. Name of Applicant:
- 2. Summary of assets and liabilities on the basis of the audited financial statement of the immediately preceding three financial years. (Please attach published annual report and audited accounts of the Bidder)

Sl No	Description	2016-17	2017-18	2018-19
1	Authorized capital			
2	Capital Issued & paid-up			
3	Total Assets			
4	Current Assets			
5	Cash, temporary investment & Current receivable			
6	Total liabilities			
7	Current liabilities			
8	Net worth			
9	Working Capital			
10	Annual Turnover			
11	Gross profit			
12	Net profit before Tax			
13	Net profit after tax			

- 3. Current working capital arrangements:
- (a) Own resources
- (b) Cash, credit limit, etc. from the bankers
- 4. Current annual cash requirements for the ongoing projects

- 5. Proposed arrangement of funds for the Project, in case awarded
- (a) Own resources
- (b) Cash, credit limit, etc. from the bankers
- 6. Details of investments having maturity less than 1 year as on 30.9.2019
- 7. Name and address of bankers

Signature

SCHEDULE C

Experience

N	ame	οf	the	Rid	der	
ΙN	ame	UΙ	uic	\mathbf{D} IU	uei	

1. List of similar units / spices processing plants run by the bidder during the last 3 years

Name and address of	Products the plant 3 years last 3 years			1 0			during	
the Unit	manufactured		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19

Signature

FINANCIAL BID (IN SEPARATE COVER)

- 1. Name & address of the bidder:
- 2. Lease rent quoted per month for processing & storage facilities :

Sl No	Name of the facility	Basic amount quoted per month (Rs)	GST 18 %	Total per month (Rs)
1.	Seed Spices cleaning & grinding facilities			
2.	Warehouse admeasuring 8600 Sq feet (not below the existing rate paid by the lessees for the already leased warehouses)			
	Total per month			

SIGNATURE

SEAL

मसाला पार्क, जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के सामान्य प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए बोलियों हेतु आमंत्रण

बोली दस्तावेज

मसाला बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, कोच्ची - 682 025

मसाला पार्क, जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के सामान्य प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए बोलियों हेत् आमंत्रण

मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के लिए दो टन प्रति घंटे की क्षमतावाली एक सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधा एवं 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमतावाली बैच प्रक्रिया की भाप-विसंक्रमण इकाई स्थापित किए थे। बोर्ड ने दिसंबर 2019 तक सामान्य प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव का पट्टा एक निर्यातक को दिया है। मसाला बोर्ड, अब 5 साल की अविध के लिए पार्क में स्थित प्रसंस्करण इकाइयों को संचालन और रखरखाव करने के लिए, इच्छुक निर्यातकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। सफल बोलीदाता को संयंत्र और इकाइयों का पट्टा 'जैसा है जहाँ है शर्त' पर दिया जाएगा। चयनित बोलीदाता को बैंक गारंटी के रूप में एक सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा और इकाई का कब्ज़ा लेने की तारीख से मासिक आधार पर पट्टे के किराये की राशि का भुगतान करना होगा। पट्टे के किराये की राशि में हर वर्ष सहमत राशि के 10% की वृद्धि होगी। सफल बोलीदाता को एक बार दिए जाने वाले अप्रतिदेय परिचालन शुल्क, दो लाख रुपये, 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ (कुल 2.36 लाख रुपए), स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में बनाए गए एरणाकुलम में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान या बोर्ड के प्राप्ति खाते में जमा करना होगा।

जिस सफल बोलीदाता को यह इकाई दी जानी है, उसे दो संकुल बोली प्रणाली अर्थात्, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली के आधार पर चुना जाएगा।

सफल बोलीदाता अपने खर्च पर मौजूदा संयंत्र के लिए आवश्यक संशोधन/सुधार के लिए जिम्मेदार होगा और संयंत्र के संचालन तथा बिजली, रखरखाव लागत, डीजल जेनरेटर, जल शुल्क आदि सिहत संयंत्र के दैनिक संचालन के सभी खर्चों को पूरा करेगा। बोली प्रक्रिया के विस्तृत निबंधन और शर्तें बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी) में दी गई हैं।

बोलीदाता 11 नवंबर, 2019 को या उससे पहले तकनीकी वाणिज्यिक और वित्तीय बोली प्रस्तुत करेंगे। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी, जिनकी तकनीकी-व्यावसायिक बोलियाँ स्वीकार्य हैं।

बोर्ड उपलब्ध बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 12-11-2019 को सुबह 11 बजे तकनीकी बोली खोलेगा और वित्तीय बोली उसी दिन अपराहन 3.00 बजे खोली जाएगी।

निदेशक (विपणन)

स्थान: कोचीन-25 दिनांक: 21-10-2019

बोलीदाताओं केलिए सूचना (आई टी बी)

1.0 बोली का दायरा (गुंजाइश)

- 1.1 स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मसाला पार्क जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के लिए दो टन प्रति घंटे की क्षमतावाली एक सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधा एवं 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमतावाली बैच प्रक्रिया की भाप-विसंक्रमण इकाई स्थापित किए थे। मसाला पार्क जोधपुर, राजस्थान में प्रसंस्करण इकाई सिहत 8600 वर्ग फीट क्षेत्रफल के एक वेयरहाउस आबंटन केलिए उपलब्ध है। बोर्ड, दिसंबर, 2019 में, वर्तमान पट्टे की अविध की समाप्ति के बाद, उक्त प्रसंस्करण सुविधाओं और वेयरहाउस का दैनिक संचालन के लिए निर्यातकों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव करता है। यह सुविधा राजस्थान के जोधपुर जिले के रामपुरा भाटियां गांव में स्थित है। स्पाइसेस बोर्ड सफल बोलीदाता को, पट्टा अनुबंध के निष्पादन की तारीख से पाँच वर्ष की अविध के लिए मशीनों, उपकरणों और औजारों के साथ इकाइयों को 'जैसा है जहाँ है शर्त' पर संचालन और रखरखाव के लिए पट्टे पर देने की इच्छा रखता है।
- 1.2 कार्य का दायरा 5 वर्ष की अविध के लिए संयंत्र और मशीनों तथा गोदामों को सफलतापूर्वक संचालित करना होगा, जिसके लिए इकाइयों को पट्टे पर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए संयंत्र भवन के पिरसर का उपयोग करने की अनुमित दी जाएगी। सफल बोलीदाता को प्रसंस्करण संयंत्र के लिए लागू सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़कों आदि का उपयोग करने और पिरसर में प्रवेश की अनुमित के लिए अधिकृत किया जाएगा। सफल बोलीदाता को संचालन के सभी खर्चों, स्पेयर पार्ट्स की लागत, मशीनों का रख-रखाव, संयंत्र भवन का वार्षिक रखरखाव, जल आपूर्ति, बिजली के लिए उपयोगिता शुल्क, डीजी सेट के लिए शुल्क, इकाई के संचालन के लिए सुरक्षा शुल्क आदि का वहन करना होगा।

2.0. बोली प्रस्तुत करने के लिए योग्यता मानदंड

- 2.1 निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता बोली में भाग लेने के पात्र होंगे
 - i) बोलीदाता के पास मसाले के निर्यातक के रूप में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।
 - ii) बोलीदाता को मसाले/कृषि वस्तु/खाद्य प्रसंस्करण आदि के लिए प्रसंस्करण इकाई चलाने का पिछला अन्भव होना आवश्यक है।
- 2.2 बोलीदाता अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करेंगे।
 - (i) गठन या कानूनी स्थिति को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेजों की प्रतियां, पंजीकरण का स्थान, व्यवसाय का प्रमुख स्थान, मसाले के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र। संयुक्त उद्यम या कंपनियों के संघ के मामले में, प्रत्येक साझेदार की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से संकेतित करता हुआ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तुत किया जाएगा। (अन्सूची- क)

(ii) वित्तीय विवरण जिसमें पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए निष्पादित कार्यों का क्ल

मौद्रिक मूल्य शामिल होगा। (अन्सूची - ख)

(iii) पिछले अन्भव का विवरण (अन्सूची - ग)

2.3 बोलीदाता वित्तीय बोली में प्रसंस्करण इकाई के लिए दिए जाने वाले मासिक पट्टे की राशि को

उद्धृत करेंगे

2.4 बोलीदाता वेयरहाउस केलिए दिए जाने वाला मासिक किराया उद्धृत करेंगे।

2.5 बोलीदाता प्रस्तावित स्रक्षा जमा राशि और उसके रूप (चेक/डीडी या बीजी) को वित्तीय बोली में

उद्धृत करेंगे।

3.0 प्रति बोलीदाता एक बोली

3.1 प्रत्येक बोलीदाता केवल एक बोली प्रस्तुत करेगा। जो बोलीदाता एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता

है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

4.0 साइट पर जाएँ

4.1 बोलीदाता को, अपनी जिम्मेदारी और रुचि पर, संयंत्र और उपकरणों, आदि को देखने जाने और

उनकी जांच करने तथा उन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो

बोली तैयार करने और इकाई के संचालन के लिए एक समझौते में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो

सकती हैं। कार्यस्थल पर जाने और आवश्यक जानकारी एकत्र करने का खर्च बोलीदाता द्वारा वहन

किया जाएगा। जो बोलीदाता कार्यस्थल पर जाने के इच्छ्क हैं, वे निम्नलिखित पते पर बोर्ड के

प्रादेशिक कार्यालय ग्ना को अग्रिम रूप से स्चित करेंगे।

सहायक निदेशक,

स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय,

सी-65, कमला नेहरू नगर-॥ एक्स्टेंशन

जोधप्र-342 008

राजस्थान

मोबाइल: 0291-2636994

ईमेल : spicesboardju@gmail.com

5.0 बोली की कीमत

5.1 बोलीदाता को बोली के साथ 50,000 रुपए की बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा, जो कोचीन में देय किसी भी बैंक के डीडी के रूप में या बोर्ड के निम्नलिखित बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भेजी जाएगी।

स्पाइसेस बोर्ड रसीद खाता :7176002100002354

बैंक का नाम : पंजाब नेशनल बैंक शाखा का नाम : वेण्णला, एर्नाकुलम आईएफएस कोड : PUNB0717600

5.2 सफल बोलीदाता को बयाना राशि केवल पट्टा अनुबंध के सफलता पूर्वक पूरा होने के बाद लौटाई जाएगी। यदि बोलीदाता निर्धारित अविध के भीतर पट्टे के समझौते को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो बोर्ड द्वारा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बोली को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी।

5.3 जो बोलीदाता, प्रति माह अधिकतम पट्टे की राशि का प्रस्ताव करता है, उसे सफल बोलीदाता माना जाएगा, बशर्ते कि वह बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करता हो।

5.4 बोर्ड के पास संयंत्र के संचालन के लिए लाभकर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के आधार पर, समय-समय पर पट्टे की अविध को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.0 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और बोली खोलने की तिथि

6.1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली को "मसाला पार्क, जोधपुर में प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर देने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली" लिखे अलग लिफाफे में रखा जाएगा। वित्तीय बोली को "मसाला पार्क, जोधपुर में प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर देने के लिए वित्तीय बोली" लिखे अलग लिफाफे में रखा जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली के दोनों मुहरबंद लिफाफों को मसाला पार्क, जोधपुर में प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर देने की बोली" लिखे लिफाफे में बंद किया जाएगा और निम्न पते पर इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह 11-11--2019 को या उससे पहले पहुँच जाए।

श्री पी एम सुरेष कुमार निदेशक (विपणन) स्पाइसेस बोर्ड पालारिवदृम पोस्ट, कोच्ची- 682025 केरल।

- 6.2 बोर्ड 12-11-2019 को 11 बजे बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि, यदि कोई हो, की उपस्थिति में तकनीकी बोली खोलेगा।
- 6.3 जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ स्वीकार की जाती हैं, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ उसी दिन अपराहन 3.00 बजे खोली जाएंगी।

7.0 पट्टा सौंपने की पात्रता

- 7.1 बोर्ड, ठेका सौंपने से पहले, बोर्ड की कार्रवाई के आधार, किसी भी समय बिना बोलीदाता/बोलीदाताओं के प्रति कोई भी दायित्व स्वीकार किए या बोलीदाता/बोलीदाताओं को सूचित करने की किसी जिम्मेदारी के बगैर किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7.2 बोर्ड उस बोलीदाता को अनुबंध सौंपने पर निर्णय लेगा जिसकी बोली, बोली दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी मानी जाती है और जिसने पट्टे के लिए उच्चतम राशि की पेशकश की है तथा जिसे बोली दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार पात्र निर्धारित किया गया है और जिसकी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली स्वीकार्य है।
- 7.3 समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सफल बोलीदाता को 15 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि (प्रतिदेय) और 2 लाख रुपये के पूर्व-संचालन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कोच्ची में Secretary, Spices Board के पक्ष में तैयार बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाएगी या एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा नीचे दिए गए अन्सार बोर्ड के खाते में जमा करानी होगी।

स्पाइसेस बोर्ड रसीद खाताः 7176002100002354 बैंक का नामः पंजाब नेशनल बैंक शाखा का नामः वेण्णला, एरणाकुलम आईएफएस कोडः PUNB0717600

- 7.4 एक समझौते को निष्पादित करने के बाद उच्चतम बोली की राशि उद्धृत करने वाले बोलीदाता को काम सौंपा जाएगा।
- 7.5 जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार कर ली गई है, उसे बोर्ड द्वारा पहले इ-मेइल से सूचित किया जाएगा, जिसके बाद स्पीड पोस्ट द्वारा एक पृष्टि पत्र दिया जाएगा।
- 7.6 काम सौंपने में संविदा का गठन भी बनेगा बशर्तेकि बोलीदाता, पूर्व संचालन शुल्क, सुरक्षा जमा और तीन महीने की पट्टे की राशि के बराबर अग्रिम राशि प्रस्तृत करता हो।

समझौते की सामान्य शर्तें

1.क) प्रसंस्करण सुविधाएं

बोर्ड ने मसाला पार्क, जोधपुर में बीजीय मसालों के लिए क्लीनिंग, कलर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ब्लेंडिंग, पैिकंग सुविधाओं सिहत दो टन प्रति घंटे की क्षमतावाली एक सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधा एवं 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमतावाली बैच प्रक्रिया की भाप-विसंक्रमण इकाई स्थापित किए थे।

ख) वेयरहाउस

बोर्ड ने मसाला पार्क में छह वेयरहाउसों की स्थापना की थी जिनमें से पाँच को पहले ही पट्टे पर दिया गया है। सामान्य प्रसंस्करण सुविधा के साथ एक वेयरहाउस, नं.5 जो 8600 वर्ग फीट क्षेत्रफल का है, आबंटन केलिए उपलब्ध है। बोर्ड पहले से ही पट्टे वाले वेयरहाउसों के लिए पट्टेदारों द्वारा भुगतान किए गए मौजूदा दर से नीचे वेयरहाउस को पट्टे पर नहीं देगा।

2. स्थायी जल आपूर्ति

संयंत्र में स्थायी जल स्रोत और जल आपूर्ति उपलब्ध है। यदि बोलीदाता अतिरिक्त पानी की लाइनें प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसे अपनी व्यवस्था करनी होगी और वर्तमान आपूर्ति लाइनों में किसी भी सामग्री के परिवर्तन के बिना जल आपूर्ति प्रणाली के नए कनेक्शन और वितरण की सभी लागतों का वहन करना होगा। जल वितरण प्रणाली में केवल आईएसआई प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाली फिटिंग का उपयोग किया जाएगा। बोलीदाता को उपयोग के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित जल शुल्क का भुगतान करना होता है।

3. विद्युत आपूर्ति

पार्क में बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो, तो बोलीदाता को अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी और नए कनेक्शन और विद्युत प्रणाली के वितरण के लिए सभी लागतों को वहन करना होगा। बोलीदाता राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त बिल के अनुसार उपयोग किए जाने वाले बिजली के मासिक शुल्क को प्रसंस्करण इकाई के मीटर रीडिंग के अनुसार पूरा करेगा। मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली के उपभोग के शुल्क के अलावा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के टैरिफ के अनुसार प्लांट के आन्पातिक कनेक्टेड लोड डिमांड को भी बोलीदाता को वहन करना होता है।

4. डीजी सेट से विद्युत आपूर्ति

प्रसंस्करण सुविधा के संचालन के लिए बोर्ड ने अलग डीजी सेट स्थापित किया था। यदि कोई बोलीदाता संयंत्र के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा स्थापित डीजी सेट का उपयोग करने की इच्छा रखता है तो बोलीदाता द्वारा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट के लिए लागू टैरिफ दरों, सेट चलाने के लिए डीजल की लागत और डीजी सेट आदि का उपयोग करने के लिए बोर्ड को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

5. विद्युतीकरण

बोलीदाता बिजली प्राप्त करने और वितरण और आंतरिक तथा बाहरी प्रकाश व्यवस्था के किसी भी नए डिजाइन और स्थापना के लिए जिम्मेदार होगा जो राजस्थान राज्य विद्युत निरीक्षणालय की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और बोलीदाता उन्हें निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कराएगा। यह पहले के विद्युतीकरण के ऊपर और उससे अलग है। उच्चतम मानक के प्रकाश फिटिंग, स्विच गियर, केबल, आदि का उपयोग होगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा। सभी विद्युत स्थापनाएं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निरीक्षणालय के नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी। उपकरण और सामग्री आईएसआई चिन्ह युक्त और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक गुणवत्ता के होंगे।

6. अपशिष्ट का निपटान

बोलीदाता अपनी लागत पर अपशिष्ट निपटान प्रणाली को तैयार करेगा और उसे बनाए रखेगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और/या बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने वाले किसी भी अपशिष्ट जल को बोर्ड की सामान्य जल निकासी प्रणाली में जाने दिया जाएगा।

7. सड़क और जल व्यवव्था

बोर्ड की अनुमित के बिना, बोलीदाता द्वारा मौजूदा सड़कों या पानी के स्रोतों, पाइप, विद्युत और टेलीफोन लाइनों और नाली को किसी भी तरह से अवरुद्ध, परिवर्तित, संशोधित या बाधित किया नहीं जाएगा। किसी भी अनिधकृत प्रावधान के लिए दावा किये जाने पर, बोलीदाता या उसके कर्मचारियों द्वारा कटौती, परिवर्तन, संशोधन या ऐसी सड़कों या पानी के स्रोतों में बाधा आदि के लिए बोलीदाता से वसूली की जाएगी।

8. क्षतिपूर्ति और देयता

बोलीदाता उत्पादन इकाई के खरीद, संचालन और रखरखाव से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों का वहन करेगा और इस समझौते अथवा बाद में बोलीदाता द्वारा निष्पादित समझौते के अंतर्गत किसी भी दायित्वों के बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी कार्यवाहियों और तृतीय पक्ष के किसी भी प्रकार के दावों, नुकसान, दुर्घटनाओं, जीवन हानि और किसी भी खर्च के लिए क्षतिपूर्ति, बचाव करेगा और बोर्ड को उनसे अप्रभावित रखेगा। बोलीदाता इसके अधिकारियों, नौकरों, एजेंटों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों सिंदत बोर्ड को पूरी तरह से मुक्त और हानिरिंदत रखेगा और निम्नलिखित से होने वाले या उत्पन्न किसी भी नुकसान/ क्षिति के खिलाफ बोर्ड का बचाव करेगा:

- क) बोलीदाता द्वारा प्रचलित कानूनों और लागू परमिट का गैर-अनुपालन
- ख) कार्यों, उप-ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, इत्यादि से संबंधित कर या जीएसटी या किसी अन्य कर आदि, जो प्रसंस्कृत मसालों के संचालन और उत्पादन के संबंध में आवश्यक हो, का भुगतान नहीं करना
- ग) बोलीदाता को प्रदान की गई सामग्रियों या सेवाओं की राशि का भुगतान न करना जो बोलीदाता या उसकी किसी भी एजेंसी द्वारा देय हो।

9. कर और श्ल्क

चुंगी, उत्पाद शुल्क या जीएसटी, क्षतिपूर्ति और/या अन्य प्रभारों या किसी भी लेवी के रूप में सभी शुल्कों का, जो कार्यों पर लगाए जा सकते हैं, बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। कच्चे माल की खरीद, सेवाओं और तैयार उत्पादों की बिक्री पर सभी करों और प्रभारों का बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

10. स्थानीय एवं वैधानिक प्राधिकरणों के उप-कानून और विनियम

क. बोलीदाता उन स्थानीय और वैधानिक प्राधिकरणों के सभी उपनियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा, जिनका कार्यों पर अधिकार क्षेत्र होगा और सभी आवश्यक नोटिसों को देने और प्राप्त करने से पहले, यदि कोई हो, और सभी शुल्कों और अन्य शुल्कों का भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा और बोर्ड को उक्त उप-कानूनों के अनुपालन, किए गए भुगतान, जारी और प्राप्त की गई नोटिसों के बारे में सूचित करेगा। बोलीदाता किसी भी संयंत्र, मशीन, काम या सामग्री के संबंध में अथवा कार्य या अस्थायी कार्यों के संबंध में उपयोग

किए गए रॉयल्टी, पेटेंट अधिकार, डिजाइन, नाम के व्यापार चिहन या अन्य संरक्षित अधिकारों से संबंधित सभी दावों और उसके संबंध में सभी दावों के खिलाफ, कार्यवाही, लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ बोर्ड का बचाव करेगा। बोलीदाता इस तरह के दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना, लागत और सभी के शुल्क और उसके संबंध में कानूनी रूप से लागू सभी प्रकार के व्यय का स्वयं भुगतान करेगा।

ख. बोलीदाता स्थानीय या सार्वजनिक बोर्ड या नगरपालिका के उचित और कानूनी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा और उनके नियमों और विनियमों का पालन करेगा तथा सभी शुल्क और प्रभारों का भ्गतान करेगा, जिनके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है।

11. बीमा

बोलीदाता ऐसे किसी भी नुकसान, क्षिति या शारीरिक चोट के जोखिम के खिलाफ बीमा करेगा, जो अनुबंध के निष्पादन और संचालन और रखरखाव की अविध के दौरान किसी भी भौतिक संपत्ति या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। बोलीदाता संयंत्र और मशीनों का बीमा करेगा, जो उनके पूरे पुनर्स्थापन की लागत से कम न हो, जिसमें तोड़ने की लागत, मलबा हटाना आदि शामिल है। यह बीमा संयंत्र और मशीनों का कब्जा लेने के बाद उचित अविध से प्रभावी होगा, लेकिन यह अविध 30 दिनों से अधिक की नहीं होगी। बोलीदाता बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखेगा और उन्हें बोर्ड के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा पॉलिसी की समाप्ति की तारीख बोर्ड को संयंत्र और मशीनों के हस्तांतरण के 6 महीने बाद तक प्रभावी होगी।

12. श्रम

बोलीदाता, उसके द्वारा काम पर लगाए गए सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होगा और संबंधित कार्यों में जो भी और जहां भी हो, उनमें से किसी को भी किसी भी गंभीर दुर्घटना की संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट करेगा और सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए हर व्यवस्था करेगा। बोलीदाता, यदि आवश्यक हो, तो परिसर के बाहर अपने कर्मचारियों के लिए अपने खर्च से आवास, पेयजल, भोजन, शौचालय और मूत्रालयों की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। बोलीदाता स्थानीय या आयातित श्रम को काम पर रखने से संबंधित सभी कानूनों, उपनियमों और नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करेगा और उसके द्वारा नियोजित श्रमकों को आवश्यक ईएसआई सुरक्षा प्रदान करेगा। बोलीदाता मजदूरी की दरों पर भुगतान करेगा और श्रम की शर्तों का पालन करेगा, जो व्यापार या उद्योग के लिए स्थापित दरों की तुलना में कम न हों। बोलीदाता उद्योग के लिए लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, आव्रजन और उत्प्रवास से संबंधित कानून शामिल हैं और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की अनुमित देगा। बोलीदाता बिना बोर्ड की मंजूरी के कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा। बोलीदाता, अपने या अपने किसी भी कार्मिक द्वारा काम पर रखे गए किसी भी व्यक्ति की चोट, तकलीफ, बीमारी या मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दावों, हर्जाने, नुकसानों और खर्चों (कानूनी शुल्क और खर्चों सिहत) के जोखिम के खिलाफ बीमा को प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा। बीमा की नीतियों के अंतर्गत बोर्ड को भी क्षितिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय इसके कि वह बीमा घाटे

और दावों को इस हद तक छोड़ सकता है कि वे बोलीदाता या बोलीदाता के कर्मियों के किसी भी कार्य या लापरवाही से उत्पन्न हो सकते हैं। बीमा को उस पूरी अवधि में पूरी तरह लागू और प्रभावी बनाए रखा जाएगा जिसमें ये कार्मिक कार्यों के निष्पादन में सहायता कर रहे हैं।

13. अन्य दस्तावेज

बोर्ड बोलीदाता को समीक्षा के लिए संचालन और रखरखाव अनुबंध, आदि के साथ समझौतों के मसौदे को प्रस्तुत करेगा और बोर्ड द्वारा वहां की गई सभी टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हो तो, उन्हें स्वीकार करने के लिए कार्य करेगा। बोर्ड को प्राप्ति के 30, (तीस) दिनों के भीतर और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रदान करने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं, और बोलीदाता बोर्ड की ऐसी सभी टिप्पणियों/अवलोकनों सभी को शामिल करेगा। उपर्युक्त किसी भी मसौदे पर बोर्ड द्वारा ऐसी कोई टिप्पणियां/अवलोकन या इस तरह की टिप्पणियों को प्रदान करने में विफलता, बोलीदाता को किसी भी तरह से इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों, कर्त्तव्यों और देनदारियों की से राहत या छूट नहीं देगी और यहां दिए गए बोर्ड के अधिकारों से बिना किसी पूर्वाग्रह के यह किसी भी तरीके से बोर्ड को बोलीदाता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाएगी।

14. बोर्ड की बाध्यताएं

बोर्ड निम्नलिखित को मानने, पालन और प्रदर्शन करने के लिए सहमत है:

- i. बोर्ड बोलीदाता द्वारा प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन और रखरखाव के विश्वासयोग्य उपयोग के लिए सहमत है, जब तक कि बोलीदाता इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन नहीं करता है।
- ii. प्रसंस्करण इकाइयों पर सुरक्षा व्यवस्था के अधीन कार्यस्थल और अवस्थापना सुविधाओं तक बोलीदाता की पहंच को सक्षम करना।
- iii. यदि आवश्यक हो तो लागू कानूनों के अनुसार, लागू परिमटों को प्राप्त करने में, बोलीदाता की सहायता करना, बशर्ते कि बोलीदाता लागू कानूनों का अनुपालन करता है।
- iv. जल, विद्युत और दूरसंचार सुविधाओं सिहत सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में बोलीदाता की सहायता करना।
- v. बोलीदाता को सीमा शुल्क और सुरक्षा मंजूरी के अधीन निर्माण संयंत्र और सामग्रियों के साथ वाहनों और आवाजाही की अनुमति देना।

15. बोर्ड के अधिकार

- i. बोर्ड के पास परिसर में प्रवेश करने और गतिविधियों की आवश्यक जांच करने का अधिकार पहले से ही मौजूद है।
- ii. बोर्ड को संयंत्र के दैनन्दिन प्रबंधन की जांच करने और प्रक्रिया के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देने का अधिकार है।

- iii. बोर्ड को निष्कर्षण संयंत्र के दैनन्दिन प्रबंधन द्वारा बोलीदाता द्वारा रखे गए किसी भी दस्तावेज, खातों की जांच करने का अधिकार है।
- iv. बोर्ड को निष्कर्षण संयंत्र के दैनन्दिन प्रबंधन पर बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सुझाव देने का अधिकार है और बोलीदाता उचित समय के भीतर इसे शामिल करेगा।
- v. बोर्ड को असंतोषजनक पाए जाने पर बोलीदाता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार है और ऐसे अवसरों पर बोलीदाता त्रंत कार्रवाई करेगा।

16. शासकीय कानून

बोलीदाता सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य और भारत सरकार में प्रचलित कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि और उपरोक्त परिसर के संचालन से संबंधित अन्य सभी नियम और अधिनियम शामिल हैं। बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र के संचालन के एक महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर उपरोक्त सभी को ध्यान में रखा जाए।

17. अंतिम प्राधिकरण

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के होने के बावजूद, परियोजना से जुड़े किसी भी मामले पर अंतिम प्राधिकार सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के पास है।

18. समापन

बोर्ड को बोलीदाता द्वारा करार के उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट के मामले में बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना पट्टा समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा। निम्नलिखित घटनाएं बोलीदाता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट की घटनाओं का गठन करेगी।

- i. बोलीदाता समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहता है
- ii. बोलीदाता अनुबंध के अंतर्गत परियोजना या इसके किसी भी भौतिक दायित्वों को छोड़ देता है।
- iii. बोलीदाता अनुबंध/समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या बोर्ड से इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर उसे ठीक करने में विफल रहता है।
- iv. बोलीदाता संचालन की अवधि के दौरान परियोजना को बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार बनाए रखने में विफल रहता है।
- v. यदि बोलीदाता ने इस अनुबंध के अंतर्गत लागू किसी भी भुगतान में देरी की है और यदि ऐसी देरी 30 दिनों से अधिक हो जाती है।
- vi. यदि बोलीदाता किसी उचित समय के भीतर बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर बोर्ड की

संत्ष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है।

- vii. यदि बोलीदाता संचालन की अविध के दौरान बोर्ड की लिखित अनुमित के कोई परिवर्तन/संशोधन/अतिरिक्त निर्माण करता है।
- viii. यदि बोलीदाता किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कारखाने और परिसर का उपयोग करता है जो बीजीय मसाले के प्रसंस्करण से संबंधित नहीं है या संचालन की अवधि के दौरान बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन या परिवर्धन या निर्माण करता है।
- ix. यदि बोलीदाता प्रसंस्करण के लिए इच्छित कृषि वस्तु (कच्चा माल) के अलावा अन्य सामग्री लाता है
- x. यदि बोलीदाता श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहता है या श्रम कानूनों से संबंधित नियमों को बनाए रखने में विफल रहता है या कल्याण और स्वच्छ आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहता है।
- xi. यदि बोलीदाता संयंत्र और मशीनों के वार्षिक रखरखाव के अलावा लगातार 5 दिनों तक संयंत्र को बंद कर देता है और चलाने में विफल रहता है।

किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जो इस समझौते के संबंध में/बोर्ड के पास हो सकता है, इस करार/ठेके के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन या विफलता की घटना बोर्ड को एक लिखित संचार (समाप्ति नोटिस) द्वारा करार/ठेके को समाप्त करने का अधिकार देगी। यदि बोलीदाता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अविध के भीतर इस तरह के उल्लंघन या विफलता को सुधारने में विफल रहता है, तो बोर्ड समझौते को समाप्त कर देगा, संयंत्र, सामग्री और निर्मित क्षेत्रों पर कब्जा और नियंत्रण लेगा और परियोजना को नियंत्रित करेगा, जिसमें बोलीदाता से किसी भी राशि के संग्रह शामिल है। बोर्ड की लिखित अनुमित के बिना कोई भी अस्थायी या स्थायी ढांचा नहीं बनाया जाएगा।

अधिक जानकारी,यदि कोई हो, तो उसके लिए

निदेशक (विपणन)

मसाला बोर्ड, पालारिवदृम पोस्ट कोचीन, केरल -682 025

दूरभाष: 0484-2333607 ई-मेल: dm.sb-ker@gov.in

से संपर्क करें।

जोधपुर के मसाला पार्क में प्रसंस्करण सुविधाओं को पट्टे पर लेने हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए आवेदन

- 1. कंपनी का नाम
- 2 मसाले के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाण पत्र का विवरण
- 3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पता, ईमेल आईडी टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर
- 4. आवेदक की पैन संख्या
- 5. जीएसटी पंजीकरण का विवरण
- 6. व्यवसाय का प्रकार और लगातार व्यापार करने के वर्षों की संख्या
- 7. वर्तमान व्यवसाय का वार्षिक कारोबार
- 8. जिस वस्तु का लेन-देन किया है उसका प्रकार
- 9. वर्तमान में किए जा रहे कारोबार की संख्या और विवरण
- 10. मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की इंजीनियरिंग और संचालन का अनुभव
- 11. एक मसाला प्रसंस्करण इकाई चलाने के पिछले अनुभव का विवरण
- 12. मसाला इकाइयों के संयंत्र और मशीनों के निर्माण/संशोधन में अनुभव।

स्थान:	(आवेदक के हस्ताक्षर)
दिनांक:	मुहर

अनुसूची - "क" : संरचना और संगठन

बोलीदाता का नाम	
मुख्यालय का पता	
टेलीफोन नं.	
फ़ैक्स नं.	
इ-मेइल आईडी	
प्रादेशिक कार्यालय का पता	
टेलीफोन नं.	
फ़ैक्स नं.	
इ-मेइल आईडी	
व्यापार के मुख्य क्षेत्र	
क) घरेलू	से
ख) निर्यात	से
निगमन का स्थान व वर्ष (निगमन के	
प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
	हस्ताक्षर (संगठन की संरचना दिखानेवाला संगठन-चार्ट संलग्न करें)
स्थान :	नाम :

हस्ताक्षर:

दिनांक :

अनुसूची - "ख" - वित्तीय क्षमता

- 1. आवेदक का नाम
- 2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरण के आधार पर संपत्ति और देनदारियों का सारांश (कृपया बोलीदाता के प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को संलग्न करें)

क्रम	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
संख्या				
1	अधिकृत प्ंजी			
2	जारी और भुगतान की गई पूंजी			
3	कुल परिसंपत्तियाँ			
4	चाल् परिसंपत्तियाँ			
5	नकद, अस्थायी निवेश और वर्तमान प्राप्य			
6	कुल देयताएँ			
7	चाल् देयताएँ			
8	निवल मूल्य			
9	कार्यशील पूंजी			
10	वार्षिक कारोबार			
11	सकल लाभ			
12	कर से पहले निवल लाभ			
13	कर के बाद निवल लाभ			

- 3. वर्तमान कार्यशील पूंजी व्यवस्था:
 - क. स्वयं के संसाधन
 - ख. बैंकरों से नकद, क्रेडिट सीमा, आदि
- 4. चालू परियोजनाओं के लिए वर्तमान वार्षिक नकदी अपेक्षाएँ

- 5. यदि ठेका प्रदान किया जाता है तो परियोजना के लिए धन की प्रस्तावित व्यवस्था क. स्वयं के संसाधन
 - ख. बैंकरों से नकद, क्रेडिट सीमा, आदि
- 6. जैसेकि 30.9.2019 को है, एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाले निवेश का विवरण
- 7. बैंकरों का नाम और पता

हस्ताक्षर

अनुसूची- ग

अनुभव

बोलीदाता का नाम :

1. पिछले 3 वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा संचालित समान इकाइयों / मसालों के प्रसंस्करण संयंत्रों की सूची

44 (141								
इकाई का	उत्पादित	संयंत्र की	पिछले 3	वर्षों के दौर	ान क्षमता	पिछले 3	वर्षों के दौरा	ान वार्षिक
नाम व	मसाला	क्षमता		का उपयोग			कारोबार	
पता	उत्पाद		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19

हस्ताक्षर

वित्तीय बोली (अलग लिफाफे में)

- 1. बोलीदाता का नाम व पता :
- 2. प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के लिए कोट किया गया गया प्रति माह पट्टा किराया :

क्रम	सुविधा का नाम	प्रति महीना कोट की	जीएसटी 18%	प्रति माह
संख्या		गई मूल राशि (रुपए)		कुल
				(रुपए)
1	बीजीय मसालों की क्लीनिंग व			
	ग्रैंडिंग सुविधाएं			
2	8600 वर्ग फीट क्षेत्रफल का			
	वेयरहाउस (पहले से ही पट्टे वाले			
	वेयरहाउसों के लिए पट्टेदारों द्वारा			
	भुगतान किए गए मौजूदा दर से			
	नीचे न हो)			
	प्रति माह कुल			

हस्ताक्षर

मुहर